न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर(राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण सख्या 18 / 2020 दायर दिनांक–31.07.2020

(2020 / 00044) फैसल दिनांक– 21-09-2020

अनवान

1–मंदिर श्री पारशनाथ जी मंदिर स्थान सागवाडा जरिये कारिन्दा श्री संजय पिता समरथलाल जी जैन जाति जैन निवासी धोबियो की गली सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1–श्री सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार साहब सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

अप्रार्थी

वकील प्रार्थी –श्री मुनीर शहजाद,राजेन्द्र पाटीदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए 209 राजस्थान काश्तकारी अधि0बाबत खसरा भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिलाये जाने व रास्ता पेमूद किये जाने।

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मन्दिर श्री पारसनाथ जी मन्दिर सागवाडा जरिये कारिन्दा संजय पिता समरथमल जैन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है।

1–प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी भूमि मौजा सागवाडा के खाता नम्बर 891 / 836 के खसरा नम्बर 4499 रकबा 0.1213 हैक्टेयर सु.प्रथम, खसरा नम्बर 4500 रकबा 0.1941 हे. सी.द्वितीय, खसरा नम्बर 5401 रकबा 0.1375 हे. सी.द्वितीय , ख.न.4502 रकबा 0.0404 हे. सु. प्रथम, ख.न. 4512, रकबा 0.0242 हे. कुल किता 5 रकबा 0. 5175 हे. में स्थित है जिस पर प्रार्थी निर्विवाद रूप से काबिज हो काश्त करता रहा है।

2–उक्त भूमि के पश्चिम में खसरा नम्बर 4498 बिलानाम आबादी दर्ज है जिसमें से प्रार्थी के खेतो तक आने जाने का एकमात्र आमरास्ता गुजरता था किन्तु कुछ वर्ष पूर्व इस रास्ते को खसरा 4498 के मुहाने पर परकोटा बनाकर अवरूद्व कर दिया है, फलस्वरूप प्रार्थी प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित हो गया है।

3–अतः प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक पहुच के लिये उपलब्ध एकमात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 4498 में से गुजरता है, के मुहाने पर स्थित परकोटे को

हटा कर आम रास्ते को बहाल कर 30 फीट चौडे रास्ते को बहाल करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद व पैमुदगी की इमदाद चाही है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा को दिनांक 31.07.2020 को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा जरिये पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार के दिनांक 24.08.2020 को सभी बिन्दूओं पर सहमति का जवाब प्रेषित किया जिसे पत्रावली पर लिया गया। तहसीलदार सागवाडा द्वारा पटवारी हल्का सागवाडा से रिकार्ड एवं मौके की जॉच कराई गई। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 21.08.2020 एवं पर्चा मौका 20.08.2020 मय नक्शा ट्रेस,खाता सं.1 की जमाबन्दी की सत्यापित प्रति,प्रार्थी के खाते कीजमाबन्दी की सत्यापित प्रतिया सलंग्न की है।

तहसीलदार सागवाडा जरिये पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार ने अपने जवाब में यह अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 4499,4500,4501,4502, एवं 4512 मंदिर श्री पारसनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड हो कर आस–पास में सटी हुई भूमिया हो कर एक चक स्थित है व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार इस कृषि भूमि पर आने जाने का कोई मार्ग/रास्त उपलब्ध नही है। पर्चे मौके अनुसार वयोवृद्व उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि इस भूमि के चारों और आबादी बसने, पक्के मकानात बनने व खसरा नम्बर 4498 पर परकोटा निर्मित होने से आने जाने का रास्ता अवरूद्व हो गया। खसरा नम्बर 4498 पर चिकित्सको के आवासीय क्वार्टर बने है व आम रास्ता इन्ही के बीच से गुजरता था लकिन विगत कुछ वर्षो से आवासीय क्वार्टर के निर्माण के दोरान उक्त कृषि भूमि की मेड तक तो रास्ता रखा गया किन्तु मेड पर परकोटा बनाकर कृषि भूमि पर आने जाने के रास्ते को अवरूद्व कर दिया। यह आम रास्ता खसरा नम्बर 4484 ख.न.4498,4527,4528 रकबा 15–16 बीधा, किस्म बिलानाम आबादी के शामिल नम्बर 4498 में स्थित है एवं मौके पर भी ख.न. 4499 की पश्चिमी मेड एवं ख.न. 4498 की पूर्वी सीमा की मेड तक बना है जो आम रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जाता रहा है। किन्तु कुछ वर्ष पूर्व इस मेड पर परकोटा निर्माण से कृषि भूमि में पहुच का रास्ता अवरूद्व हो गया है।

रिपोर्ट पटवारी अनुसार इस परकोटे को हटा कर 30 फीट चौडाई का रास्ता बहाल किया जाये तो कृषि भूमि में आवागमन सुचारू हो सकता है। भूमि धारी तहसीलदार सागवाडा ने अपने जवाब के समर्थन में पर्चा मौका एवं रिपोर्ट पटवारी संलग्न की है। एवं वर्ष 2020, 2009, व 2013 के गुगल मानचित्र भी सलंग्न किये है। प्राथी के प्रार्थना पत्र एवं भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा जरिये पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब पर्चा मौका रिपोर्ट पटवारी मय ट्रेस एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया उभयपक्ष की बहस समायत की गई। सम्पूर्ण पत्रावली के एवं प्रस्तुत किये गये जवाब व दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर गहन मनन से यह स्पष्ट होता है कि –

1–आराजी संख्या 4498 में रास्ता मौजूद थां जो आराजी संख्या 4499 पर जाकर समाप्त होता था एवं पूर्व में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात पर आने जानेके लिये इसका उपयोग किया जाता रहा है। उक्त दौनो आराजियात की क्रमंशः पश्चिमी एवं पूवी सीमा पर बनी मेड पर परकोटा बनने से रास्ता अवरूद्ध हो गया है।

2– आराजी संख्या 4498 का पूवी भाग एवं आराजी संख्या 4499 का पश्चिमी भाग मिले होकर एक ही मेड है इसकी पुष्टि गुगल सेटेलाइट इमेज वर्ष 2009,2013,2020 से होती है। इससे यह भी स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि मेड पर परकोटा बनाकर मार्ग अवरूद्ध किया गया है।

3– तहसीलदार की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिये प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि तक पहुचने के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है।

4– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि आवासीय भवनो तक आने वाले रास्ते के लम्बवत परकोटे को 30 फीट हटा दिया जाये तो प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की कृषि भूमि में सुगमता पूर्वक आने जाने का मार्ग उपलब्ध हो सकता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा के जवाब एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के बाद यह आदेश दिया जाता है कि चुँकि पूर्व में प्रार्थी जिस मार्ग से आना जाना करते हुये अपना कृषि कार्य सम्पन्न करता रहा है वह आराजी संख्या 4498 एवं 4499 की मेड पर परकोटा बना देने से अवरूद्ध गया है।

अतः प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि तक पहुचने के लिये मार्ग में आ रहे अवरोध(परकोटे) को हटाकर मौके पर आराजी संख्या 4498 की पूर्वी सीमा से आराजी संख्यां 4499 की पश्चिमी में प्रवेश हेतु मौके पर वर्तमान में जितनी चौडाई का रास्ता उपलब्ध है उतनी चौडाई का रास्ता बहाल करने के आदेश दिये जाते है। चुँकि भूमि बिलानाम आबादी है। अतः तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि वह मौके पर रास्ता बहाल करवा कर प्रार्थी को उपलब्ध करवाये एवं पालना से न्यायालय को अवगत करवाये। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर संख्या से कम की जाकर अंकन किया जावे।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा